झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/कार्य/374/2019– 57/19-20/राँची, दिनांक 10.10.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कतिपय प्रस्तावित परियोजनाओं के परामर्शी के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार कराने के निमित्त रुपये 440.38 लाख (चार करोड़ चालिस लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन निम्नवर्णित तालिका में उल्लेखित सिंचाई परियोजनाओं के परामर्शियों के माध्यम से DPR तैयार कराए जाने के निमित्त रुपये 440.38 लाख (चार करोड़ चालिस लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता के परिक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन/नये कार्यों के डी0पी0आर0 सूत्रण हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329, दिनांक–23.04.2019 में उल्लेखित निदेशों के आलोक में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा विधिवत् RFP आमंत्रित किये जाने के उपरान्त परामर्शी चयन समिति द्वारा अवधारणा प्रस्तुतीकरण में भाग लेने वाले परामर्शियों के द्वारा समर्पित वित्तीय बीडों को दृष्टिगत रखते हुए यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अनुशंसित श्रेष्ठ परामर्शियों की विभागीय निविदा समिति द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ परामर्शी का चयन निम्नवत् राशि के तहत किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र०	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि (एकरारनामा की तिथि से)	राशि कर सहित (लाख में)
1	मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र अन्तर्गत कानाडीह जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 10/2019-20.	7 माह	रू० 80.00
2	मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र अन्तर्गत चिरी जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-11/2019-20.	7 माह	रू० 60.00
3	मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र अन्तर्गत काँची जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 13/2019-20.	4 माह	रू० 148.0765
4	जल संसाधन विभाग अन्तर्गत Dam Rehabilitation and Improvement Project(DRIP) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 14/2019-20	6 माह	रू० 89.30

5	मुख्य अभियंता, देवघर अन्तर्गत त्रिकुट जलाशय योजना का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-01/2019-20.	4.5 माह	रू० 63.00
		कुल योग :–	रू० 440.3765
		Say-	रू० 440.38

4. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(i) माँग संख्या –49– जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष –4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –796– जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष –75– सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष –06– अनुदान 49 (49S470180796750649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 1700.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 200.00 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

(ii) माँग संख्या –49– जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष –4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –800– अन्य व्यय, उप शीर्ष –75– सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष –07– अन्य व्यय 59 अन्य व्यय (49S470180800750759) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 3300.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 240.38 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

5. इन कार्यो के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इस कार्य हेतु निधि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सन्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329 दिनांक–23.04.2019 में वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/कार्य/374/2019– 53/19-20 यो०(द)/राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/कार्य/374/2019– 53/19-20 यो०(द)/राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/कार्य/374/2019– 53/19-20 यो०(द)/राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, सम्रग योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/कार्य/374/2019– 53/19-20 यो०(द)/राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019– 54/14-20 4(8) /राँची, दिनांक 10.10.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कतिपय प्रस्तावित परियोजनाओं के परामर्शी के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार कराने के निमित्त रुपये 346.07 लाख (तीन करोड़ छियालिस लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन निम्नवर्णित तालिका में उल्लेखित सिंचाई परियोजनाओं के परामर्शियों के माध्यम से DPR तैयार कराए जाने के निमित्त रुपये 346.07 लाख (तीन करोड़ छियालिस लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता के परिक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन/नये कार्यों के डी0पी0आर0 सूत्रण हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329, दिनांक–23.04.2019 में उल्लेखित निदेशों के आलोक में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा विधिवत् RFP आमंत्रित किये जाने के उपरान्त परामर्शी चयन समिति द्वारा अवधारणा प्रस्तुतीकरण में भाग लेने वाले परामर्शियों के द्वारा समर्पित वित्तीय बीडों को दृष्टिगत रखते हुए यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अनुशंसित श्रेष्ठ परामर्शियों की विभागीय निविदा समिति द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ परामर्शी का चयन निम्नवत् राशि के तहत किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र०	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि (एकरारनामा की तिथि से)	राशि (लाख में)
1	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत पीरी वीयर योजना (ERM) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 02/2019-20.	7 माह	रू० 25.00
2	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची अन्तर्गत Protection and Management of flood plain zone and assessment and regulation of environmental flow के action plan सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 03/2019-20.	6 माह	रू० 139.00

3	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत Geophysical Survey, Planning, for the construction of Ground Water Recharging /Rain Water Harvesting Structure within the towns situated along the selected seven polluted stretches योजना का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 04/2019-20.	4 माह	रू० 120.00
4	मुख्य अभियंता, हजारीबाग अन्तर्गत तिलैया जलाशय योजना का पाइपलाइन आधारित संशोधित/परिमार्जित DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 05/2019-20.	4 माह	रू० 9.95
5	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत चाको सिंचाई योजना (ERM) का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 06/2019-20.	6 माह	रू० 18.18
6	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत सोनरे सिंचाई योजना (ERM) का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 07/2019-20.	6 माह	रू० 23.23
7	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत जमुने सिंचाई योजना (ERM) का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 08/2019-20.	6 माह	रू० 10.71
		कुल योग :–	**रू० 346.07**

4. <u>प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–</u>

(i) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष – 75– सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान 49 (49S470180796750649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 1700.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 146.07 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

(ii) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 800 – अन्य व्यय, उप शीर्ष –75– सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष – 07– अन्य व्यय 59–अन्य व्यय (49S470180800750759) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 3300.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 200.00 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

5. इन कार्यो के व्यय हेतु कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इस कार्य हेतु निधि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329 दिनांक–23.04.2019 में वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10.10.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019– 54/19-20 y.Ed/ /राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019– 54/19-20 y.Ed/ /राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019– 54/19-20 y.Ed/ /राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, सम्रग योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019– 54/19-20 y.Ed/ /राँची, दिनांक 10.10.19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/10/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव